तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मगदास बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 21/2012	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/6/2022	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 21/2012 **मगदास** बनाम तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम बोरानाडा तहसील लुणी के खसरा नम्बर 170 राजस्व रेकार्ड मे डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुर जी का नोट लगाया गया है उसे हटाये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भूअ/2019/111 दिनाक 14.06. 2019 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा ग्राम बोरानाडा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 170 रकबा 18.11 बीधा भूमि वर्तमान मे डोली बनाम मदिर श्री ठाकुर जी हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम से दर्ज है पूर्व मे परिपत्र प.2(4)राज.4/98/37 दिनाक 31.12.1991 प्रेषक उप शासन सचिव राजस्थान (गुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर प्रेषित जिला कलक्टर जोधपुर तथा श्रीमान तहसीलदार जोधपुर के आदेश कमाक/भूअ/2022/3922 दिनाक 24.12.91 के पुजारी का नाम विलोपित कर डोली ठाकुर जी के नाम दर्ज किया था पत्रावली का अवलोकन व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत नही होता है अत– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	